मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:07 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है. हमारे माननीय मंत्रि-मंडल के जो सदस्य हैं, उन्होंने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेकर मंत्री पद ग्रहण किया है. विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर विभाग के लोग तैयार करते हैं, जिसका उत्तर मंत्रीगण देते हैं. कल देखने में यह आया है कि तीन चार मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर थे उनके बारे में गैर संवैधानिक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है और उन्होंने मंत्रियों को यह कहा कि पी.सी.सी. से उत्तर तैयार होकर के जायेंगे उसके बाद आप उसको एप्रूव करेंगे, क्या यह सही है? यह बहुत गंभीर विषय है. विशेषाधिकार का उल्लंघन है. परम्परा है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया है तो संशोधित उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं. स्थिति यह बन रही है कि सदन के बाहर मंत्री कह रहे है उत्तर सही नहीं था और सदन के अंदर कह रहे है कि उत्तर सही था. आज तक ऐसी स्थिति सदन में कभी उत्पन्न नहीं हुई है कि चार-चार मंत्रियों के विभागों के उत्तर को गलत बताया गया हो.

डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी को सूचित किया कि यह सूचना समाचार पत्र या जिसने ने भी आपको दी है तो गलत सूचना दी है. पी.सी.सी. में कोई मीटिंग नहीं हुई है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगने पर आसंदी ने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि प्रश्नकाल हो जाने दें, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रश्नकाल से जुड़ा हुआ यह विषय है इसलिए इसी वक्त उठाना उचित होता परन्तु प्रश्नकाल के बाद आप हमें इसे उठाने की अनुमति प्रदान करें. क्योंकि कोई भी सदस्य जब शपथ लेता है तो वह कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रृद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता अक्षुण रखूंगा. चूंकि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके प्रश्नों के उत्तर का खंडन किया है. जिससे यह संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इस पर हम मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना देंगे जिसे आप ग्राह्य करे.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मैंने आप लोगों को सुन लिया है, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता कृपया प्रश्नकाल को बाधित न करें. वैसे भी समाचार के आधार पर यहां कोई चर्चा नहीं होती है.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि अध्यक्ष जी मैं समझ रहा हूं कि मेरे साथी क्या कह रहे है बहुत दिनों के बाद इन्हें विपक्ष में बैठने का मौका मिला है इनकी यह यात्रा सुखद एवं लंबी रहे ऐसी मैं कामना करता हूं और मुझे संविधान की समझ है अपने राजनैतिक जीवन में हम सबने संविधान की शपथ ही नहीं ली है बल्कि सम्मान भी किया है तो संविधान का पाठ पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है. इन्होंने जो बात उठाई है ये गैर संवैधानिक है मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं. क्योंकि अखबारों की खबरों और टिप्पणियों की चर्चा के बजाय इस सदन की गंभीरता रखना हम सब का कर्तव्य है. हम मध्यप्रदेश की विधान सभा को पूरे प्रदेश में उदाहरण बनाये और दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, हम उनकी नकल न करे ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 3, 4, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 108 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य ने चुरहट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भितरी को भितरी डांडी टोला मार्ग निर्माण प्रारंभ करने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी में रेल्वे स्टेशन से न्यूयार्ड जाने वाला मार्ग को चौड़ीकरण करने,

(3) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य ने सिवनी में ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य ने मऊगंज विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ न मिलने,

(5) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य ने जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल में बी.पी.एल. धारकों को राशन, मेडिकल एवं स्कूलों में एडमीशन की सुविधाएं न मिलने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने महिदपुर विधान सभा क्षेत्र झारड़ा स्थित बड़ा राम मंदिर प्रकरण में विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने,

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर जिले के बम्होरी तिगड्डा से मकरोनिया शनि मंदिर गढ़पहरा सड़क मार्ग कार्य धीमी गति से होने,

(8) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य ने मुरैना जिले की दतहरा नलजल योजना को प्रारंभ न किये जाने तथा

(9) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने जिला नरसिंहपुर, दमोह एवं छतरपुर क्षेत्र के किसानों का पंजीयन न होना एवं खरीदे गये अनाज का भुगतान न किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और 12 दिन हो जाने के बाद भी जिन दो बच्चों का अपहरण स्कूल से हो गया था उनका पता नहीं चल पाया है. हमने इस संबंध में स्थगन और ध्यानाकर्षण भी दिया है. आज पूरे प्रदेश में अपहरण उद्योग पनप रहा है, अपराधी पनप रहे है, दिन दहाडे हत्याएं हो रही है, इन पर रोक लगाने की बजाय पूरे प्रदेश में आज स्थानांतरण उद्योग प्रारंभ हो गया है. इस विषय को किसी न किसी रूप में ग्राह्य करें. आसंदी ने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि मैं इसको देखता हूं.

(2) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि भारत सरकार ने संविधान में जो 103वां संशोधन था जिसमें देश के सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग है उनके लिये 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है और इसमें किसी दूसरे वर्ग का आरक्षण को कम नहीं किया गया है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, असम, बिहार, महाराष्ट्र जैसे अनेकों राज्यों ने इसे लागू कर दिया है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये आरक्षण व्यवस्था मध्यप्रदेश में भी तत्काल लागू कर दिया जाये. भारत सरकार ने पदो में भी वृद्धि कर दी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है. सरकार इसके बारे में जल्दी विचार कर गरीब नौजवानों के हित में लागू करने का आदेश जारी करें.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बार गरीबी के आधार पर आरक्षण का मुद्दा हमने भी रखा था. हम इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है, हमने तय किया है कि मंत्रि मण्डल की एक उप समिति बनाकर इसका कैसे क्रियान्वयन किया जाये, इसका कैसा रूप व स्वरूप होगा इस पर कार्यवाही करेंगे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री तरुण भनोत, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018 एवं मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-16 पटल पर रखे.

6. विशेष उल्लेख

वेतन एवं वेतन भत्तों का समर्पण किया जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि हमारे माननीय सदस्य श्री चेतन्य कुमार काश्यप जी अपनी सूचना पढ़ना चाहते हैं. इन्होंने पिछली बार भी अपना वेतन नहीं लिया था और ये इस बार भी पूरे पांच साल का वेतन राजकोष में जमा करना चाहते हैं. आसंदी द्वारा माननीय सदस्य को अपनी सूचना, अपने स्थान पर जाकर पढ़ने की अनुमति दी गई.

श्री चैतन्य कुमार काश्यप (रतलाम-सिटी), सदस्य ने सदन को सूचित किया कि राष्ट्र हित एवं जनहित मेरा ध्येय है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं राजनीति में आया हूं. मैं किशोर अवस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हूं तथा कई सेवा प्रकल्पों का संचालन कर रहा हूं. ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जनसेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूं. इसी तारतम्य में, मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन-भत्तों एवं पेंशन को नहीं लेने का निश्चय किया है. पिछली विधान सभा में भी मैंने वेतन-भत्ते ग्रहण नहीं किए थे. मैं चाहता हूं कि मुझे प्राप्त होने वाले वेतन-भत्तों एवं पेंशन की राशि का राजकोष से ही आहरण न हो, ताकि उस राशि का सदुपयोग प्रदेश के विकास एवं जनहित के कार्यों में हो सके. आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें. अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि संबंधित विभाग इसको देख लेगा.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमशः)

(4) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने -

(क) (i) जिला खनिज प्रतिष्ठान झाबुआ, अलीराजपुर, सागर, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, नीमच, पन्ना, छिन्दवाड़ा, दमोह, शहडोल एवं धार के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, (ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान रीवा एवं अलीराजपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, तथा

(ख) मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017-18, पटल पर रखी.

(5) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 पटल पर रखे.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा.7, दिनांक 28 जनवरी 2019 पटल पर रखी.

(7) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने-

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित लेखे,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 1030-म.प्र.वि.नि.आ-2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 एवं

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1052-म.प्र.वि.नि.आ.-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018, तथा

(घ) एम.पी. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, पटल पर रखे.

(8) श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(9) श्री हर्ष यादव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(10) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 63 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 2 विधेयकों को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2019
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2019

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019).	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019).	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019).	30 मि.
4.	वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
5.	वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के अनुदान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	15 मि.
6.	वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.	2 घण्टे
7.	वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	30 मि.
8.	प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घण्टा 30 मि.

समिति द्वारा की गई सिफारिश अनुसार सभा की दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2019 की बैठकों में भोजनावकाश नहीं होगा तथा आवश्यकता अनुसार सभा की बैठकों के समय में सांय 1 घण्टे की वृद्धि की जायेगी.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री घनश्याम सिंह
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्रीमती नीना वर्मा
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

11. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2019-2020 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को अपराह्न 5.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 को अपराह्न 1.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा. उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र की प्रतियां विधान सभा भवन, भोपाल स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

13. वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2019 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

14. वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2004-2005 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन किया.

15. वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2019 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया.

16. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया.

17. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण ने हरदा एवं होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री ने वक्तव्य दिया.

18. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

19. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य की मंदसौर में गोली चालन के आरोपियों पर प्रकरण दर्ज न किये जाने संबंधी सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं की गई.

(3) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरण में अर्थदण्ड की वसूली न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री संजय यादव, सदस्य ने प्रदेश में रेत खदानों में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय समितियों का गठन न किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

21. अध्यक्षीय घोषणा

अनुपूरक अनुमान तथा लेखानुदान की मांगों का उपस्थापन, विचार एवं पारण किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 150 में यह प्रावधान है कि आय-व्ययक पर उस दिन चर्चा नहीं होती है जिस दिन कि वह सभा में उपस्थापित किया जाए. किन्तु सदन में कार्य की स्थिति एवं विषय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा कार्यसूची में शामिल तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा लेखानुदान की मांगों को आज ही उपस्थापन, विचार एवं पारण हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई.

22. वर्ष 2018-2019 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 27, 47, 48 तथा 51 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर बहत्तर करोड़, तीन हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह
(3) श्री कमल पटेल
(4) श्री कुणाल चौधरी
(5) डॉ. सीतासरन शर्मा

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(6) श्री प्रवीण पाठक
(7) श्री गिरीश गौतम
(8) श्री आरिफ मसूद

सभापति महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(9) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(10) श्री हरदीप सिंह डंग
(11) श्री विनय सक्सेना
(12) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(13) श्री हरीशंकर खटीक
(14) डॉ. मोहन यादव
(15) श्री बहादुर सिंह चौहान
(16) श्री संजीव सिंह "संजू"
(17) श्री मनोहर ऊंटवाल
(18) श्री राजवर्द्धन सिंह (दत्तीगांव)

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

23. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

24. वर्ष 2004-2005 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

''दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 6, 19, 24, 30, 59, 66, 67, 78, 84, 86, 92 एवं 94 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को तिरासी करोड़, उनसठ लाख, बानवे हजार, दो सौ चौहत्तर रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये.''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

25. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

26. अध्यक्षीय घोषणा
लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित करने संबंधी

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि यह परम्परा रही है कि लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिये जाते है, क्योंकि संपूर्ण बजट के आने पर चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

27. वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सदन की सहमति से चर्चा नहीं हुई.

28. वर्ष 2019-2020 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि – "दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के एक भाग अर्थात प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को राज्य की संचित निधि में से कुल सतहत्तर हजार एक सौ छियासी करोड़, तेइस लाख, चौहत्तर हजार रुपये की धन राशि जो पृथकत: वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

29. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) का पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

30. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 20 की चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

31. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉ. नरोत्तम मिश्र तथा श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया:--

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान
(चर्चा अपूर्ण)

सायं 6.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 2, शक सम्वत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 फरवरी, 2019